न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 14/21 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/31

उनवान

योगेश्वरी पत्नी श्री फूल सिंह जाति जाट निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. गोपाल उर्फ गोपाल सिंह पुत्र श्री भगवान जाति जाट निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

.....असल रेस्पोंडेंट।

3. सव रजिस्ट्रार महोदय लखनपुर।
4. गिर्राजी पत्नी श्री भगवान सिंह } जाति जाट निवासीयान लखनपुर तहसील नदबई जिला
5. फूल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह } भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 14.08.2020 उनवानी गोपाल सिंह बनाम गिर्राजी मु0न0 45/2020

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेश चन्द गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 13.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के आदेश दिनांक 14.08.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी उभयपक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है जिस पर उभयपक्ष राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी पैतृक आराजी है जो उनके द्वारा उनके पिता भगवान सिंह पुत्र रामचन्द जाति जाट की कृषि भूमि की शामिल व संयुक्त आय से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा सन् 2005 में क्रय की थी। परन्तु अप्रार्थी/तरतीवी रैस्पो0 ने उक्त आराजी को प्रार्थी/असल रैस्पो0 की जानकारी में लाये बिना गिर्राजी की वृद्धावस्था का लाभ उठाते हुये, अपनी पत्नि योगेश्वरी के नाम रजिस्टर्ड वयनामा करा दिया, जो खिलाफ कानून है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के पश्चात् भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। तत्पश्चात् बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी के पैतृक होने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को पैतृक मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। विवादित आराजी अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है एवं अपीलाण्ट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज हैं। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार ही है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वयनामा के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि विवादित आराजी रैस्पो0 संख्या 04 गिर्राजी ने उसके पूर्व खातेदार रामपति से जरिये वयनामा दिनांक 01.01.2005 को क्रय की थी एवं रैस्पो0 संख्या 04 से विवादित आराज़ी अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 23.07.2020 को क्रय की है। अतः अपीलाण्ट विवादित आराजी के सद्भावी क्रेता है। रैस्पो0 ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे विवादित आराजी पैतृक साबित होती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाधीन आदेश में विवादित आराजी के पैतृक होने के तथ्य को साबित करने हेतु साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त तय करना अंकित किया जाकर कयासो के आधार पर निर्णय पारित किया है। हम पाते हैं कि वर्तमान में अपीलाण्ट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं उन्होनें विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया है एवं विधि अनुसार एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने का प्रावधान है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय दिनांक 14.08.2020 अपास्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

13-10-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर